

**न्यायालय :- गिरजेश कुमार सनोडिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिण्डौरी
मध्यप्रदेश**

जावक क्रमांक 72 / सी.जे.एम. / स्टेनो / 2025

डिण्डौरी, दिनांक 24.04.2025

// आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक //

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 व 13 [2] तथा मध्यप्रदेश दाण्डिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं गिरजेश कुमार सनोडिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी जिला डिण्डौरी मध्यप्रदेश, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला डिण्डौरी मध्यप्रदेश, के अनुमोदन के अधीन रहते हुए जिला डिण्डौरी के कार्य विभाजन के पूर्ववर्ती समस्त आदेशों को निरस्त करते हुये अनुमोदन पश्चात् अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों का दाण्डिक कार्य विभाजन एवं कार्यों का वितरण निम्नानुसार करता हूँ जो कि दिनांक 25/4/25 से प्रभावशील होगा :-

क.	मजिस्ट्रेट का नाम	क्षेत्राधिकार का थाना/विभाग	कार्य-विवरण
1	2	3	4
01	गिरजेश कुमार सनोडिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी जिला डिण्डौरी	संपूर्ण जिला डिण्डौरी	01. डिण्डौरी जिले के सभी क्षमा प्राप्त अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण। 02. काइम ब्रांच, सी.आई.डी., साइबर ब्रांच एवं उन समस्त जांच एजेंसीज जिनका उल्लेख नहीं है, के द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रतिवेदन। (चालान, खात्मा, खारिजी)। 03. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत वह प्रकरण जिनमें अर्थदंड की राशि अधिकार क्षेत्र की सीमा से अधिक हो। 04. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे अधिक शराब से संबंधित प्रकरण। 05. डिण्डौरी जिले के सभी क्षमा प्राप्त अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण। 06. समस्त थाना क्षेत्रों के ई.आर. [खारिजी प्रतिवेदन]। 07. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत परिवाद। 08. संपूर्ण डिण्डौरी जिला से उद्भूत मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां। 09. संपूर्ण डिण्डौरी जिला में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में चल रहे प्रकरणों से संबंधित धारा 450 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन।

		पत्र। 10. संपूर्ण डिण्डौरी जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 215 एवं धारा 216 में अभिवर्णित ऐसे दण्डिक प्रकरण जिनका परिवाद किसी दंड न्यायालय द्वारा सिविल अथवा राजस्व न्यायालय द्वारा अथवा किसी भी लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, चाहे वह संपूर्ण डिण्डौरी जिले के किसी भी आरक्षी केन्द्र क्षेत्र से उद्भूत हो, सिवाय उन प्रकरणों को छोड़कर जिनमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी का न्यायालय स्वयं परिवादी है। 11. अन्य ऐसे समस्त मामले जिनका उल्लेख आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।
	न्यायिक तहसील डिण्डौरी	01. कारखाना अधिनियम 1948 02. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। 03. बाल श्रमिक {प्रतिषेध} विनियमन अधिनियम 1986 एवं बाल श्रमिकों से संबंधित अन्य अधिनियम। 04. मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। 05. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972। 06. औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940। 07. श्रम विभाग से संबंधित प्रकरण एवं श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र। 08. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982। 09. कॉपीराइट अधिनियम 1957। 10. पासपोर्ट अधिनियम 1967। 11. पर्यावरण {संरक्षण} अधिनियम 1986। 12. म.प्र. सिनेमा/रेग्यूलेशन 1952 अधिनियम। 13. म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से संबंधित अपराधों एवं उनसे उद्भूत अन्य समस्त अनुशासिक कार्यवाहियों का निराकरण करना। 14. खाद्य एवं औषधि विभाग डिण्डौरी, द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 15. नापतौल विभाग डिण्डौरी, द्वारा प्रस्तुत प्रकरण एवं बांट तथा माप मानक अधिनियम 1976। 16. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के मामले। 17. नगर पालिका परिषद डिण्डौरी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 18. मध्यप्रदेश सिनेमा/रेग्यूलेशन 1952 अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 19. क्षेत्रीय परिवहन से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
	आबकारी वृत्त डिण्डौरी	मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।

		वन विभाग, खान खनिज विभाग	तहसील डिण्डौरी एवं बजाग क्षेत्र के वन, वन्य प्राणी तथा खान एवं खनिज अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
		आरक्षी केन्द्र कोतवाली डिण्डौरी, शाहपुर एवं यातायात पुलिस डिण्डौरी	01. आरक्षी केन्द्र डिण्डौरी, शाहपुर से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण (ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के पहली अनुसूची के भाग-1 एवं भाग-2 में उल्लेखित ग्राम न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)। 02. यातायात थाना डिण्डौरी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत आपराधिक प्रकरण। 03. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण। 04. मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 05. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के समस्त एफ.आर. (खात्मा) प्रकरण (ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)। 06. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अल्प मात्रा वाले मामले। 07. उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 08. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 09. ऐसे अधिनियमों से संबंधित प्रकरण जिनका उल्लेख कार्य विभाजन पत्रक में प्रथक् से नहीं किया गया है।
02	श्री राम प्रसाद सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी डिण्डौरी	आरक्षी केन्द्र गाडासरई	01. क्षेत्राधिकार आरक्षी केन्द्र से उद्भूत समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण (ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के पहली अनुसूची के भाग-1 एवं भाग-2 में उल्लेखित ग्राम न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) तथा {50 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर}। 02. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार व आरक्षी केन्द्र कोतवाली डिण्डौरी से संबंधित प्रायवेट परिवाद (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)। 03. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण।

			04. मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 05. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अल्प मात्रा वाले मामले। 06. उपरोक्त थानों के समस्त एफ.आर. (खात्मा) प्रकरण (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)। 07. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 08. संबंधित आरक्षी केंद्र से उद्भूत होने वाले मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत आने वाले प्रकरण {50 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर}। 09. संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्र, कोतवाली डिण्डौरी, जिला जेल डिण्डौरी से संबंधित धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन मृत्यु समीक्षा जांच। 10. उक्त थाना क्षेत्राधिकार एवं थाना कोतवाली डिण्डौरी से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1981 के तहत परिवाद। 11. आरक्षी केन्द्र कोतवाली डिण्डौरी, शाहपुर से संबंधित स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) के अन्तर्गत धारा 52(क) से संबंधित कार्यवाही सम्पादित करना।
03	श्रीमती कमला उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी डिण्डौरी	आरक्षी केन्द्र महिला थाना डिण्डौरी, आरक्षी केन्द्र अजाक।	01. संबंधित क्षेत्राधिकार आरक्षी केन्द्र से उद्भूत आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 02. संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्र के प्राइवेट परिवाद, जिनमें महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध की पीड़ित महिला फरियादी हो। 03. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित समस्त प्रकरण। 04. संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्र के महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध के खात्मा प्रकरण, जिसमें महिला फरियादी हो। 05. संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्र से संबंधित धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन मृत्यु समीक्षा जांच। 06. संबंधित थाना क्षेत्र व थाना शाहपुर क्षेत्राधिकार से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1981 के तहत परिवाद।

			07. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण। 08. आरक्षी केन्द्र बजाग से संबंधित स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) के अन्तर्गत धारा 52(क) से संबंधित कार्यवाही सम्पादित करना।
04	श्री उत्कर्ष राज सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी	ग्राम न्यायालय	01. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रानुसार ग्राम न्यायालय के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 02. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
	श्री उत्कर्ष राज सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी	आरक्षी केन्द्र समनापुर, करंजिया आबकारी वृत्त समनापुर	01. क्षेत्राधिकार आरक्षी केन्द्र से उद्भूत समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण (ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के पहली अनुसूची के भाग-1 एवं भाग-2 में उल्लेखित ग्राम न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) तथा {50 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर}। 02. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार व आरक्षी केन्द्र शाहपुर से संबंधित प्रायवेत परिवाद (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)। 03. आबकारी वृत्त समनापुर द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण {50 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर}। 04. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण। 05. मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 06. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अल्प मात्रा वाले मामले। 07. उपरोक्त थानों के समस्त एफ.आर. (खात्मा) प्रकरण (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)। 08. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 09. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत आने वाले प्रकरण {50 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर}। 10. संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्र एवं आरक्षी केन्द्र शाहपुर से संबंधित धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन मृत्यु समीक्षा जांच।

			11. उक्त थाना क्षेत्राधिकार से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1981 के तहत परिवाद। 12. आरक्षी केन्द्र गाडासरई से संबंधित स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) के अन्तर्गत धारा 52(क) से संबंधित कार्यवाही सम्पादित करना।
05	सुश्री रिया डेहरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी डिण्डौरी	आरक्षी केन्द्र बजाग आबकारी वृत्त बजाग	01. क्षेत्राधिकार आरक्षी केन्द्र से उद्भूत समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण (ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के पहली अनुसूची के भाग-1 एवं भाग-2 में उल्लेखित ग्राम न्यायालय के क्षेत्रांतर्गत अपराध से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) तथा {50 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर}। 02. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रायवेट परिवाद (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)। 03. आबकारी वृत्त बजाग द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण {50 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर}। 04. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण। 05. मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 06. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अल्प मात्रा वाले मामले। 07. संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्र के खात्मा प्रकरण (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)। 08. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 09. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रकरण। 10. संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्र से संबंधित धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन मृत्यु समीक्षा जांच। 11. उक्त थाना क्षेत्राधिकार से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1981 के तहत परिवाद। 12. आरक्षी केन्द्र समनापुर, करंजिया से संबंधित स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) के अन्तर्गत धारा 52(क) से संबंधित कार्यवाही सम्पादित करना।

			13. तहसील बजाग के सम्पूर्ण क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 से 147 एवं "मुस्लिम महिला {तलाक पर अधिकारों का संरक्षण} अधिनियम 1986" से संबंधित प्रकरण व कार्यवाहियां।
तहसील-शहपुरा			
06	श्री दिलीप पाटिल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा	सम्पूर्ण न्यायिक तहसील शहपुरा	01 निम्नलिखित अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों के आपराधिक प्रकरण :- 1. कारखाना अधिनियम 1948। 2. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। 3. मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। 4. पर्यावरण {संरक्षण} अधिनियम 1986। 5. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972। 6. औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940। 7. म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय अधिनियमों से संबंधित अपराधों एवं उनसे उद्भूत अन्य समस्त अनुशांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना। 8. बाल श्रमिक अधिनियम एवं बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम 9. कॉपीराइट अधिनियम 1957। 10. म.प्र. सिनेमा/रेग्यूलेशन अधिनियम 1952। 11. पासपोर्ट अधिनियम 1967। 12. श्रम विभाग से संबंधित प्रकरण, श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982। 13. खाद्य एवं औषधि विभाग डिण्डौरी, द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 14. नापतौल विभाग डिण्डौरी, द्वारा प्रस्तुत प्रकरण एवं बांट तथा माप मानक अधिनियम 1976। 15. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958। 16. क्षेत्रीय परिवहन से संबंधित आपराधिक प्रकरण 17. वन तथा खान एवं खनिज अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 18. न्यायिक तहसील शहपुरा क्षेत्राधिकार संबंधित समस्त वन, वन्य प्राणी एवं पर्यावरण {संरक्षण} अधिनियम 1986 से उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरण।

		आरक्षी केन्द्र शहपुरा, मेहंदवानी	01. क्षेत्राधिकार आरक्षी केन्द्र से उद्भूत समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 02. क्षेत्राधिकार आरक्षी केन्द्र से संबंधित प्रायवेट परिवाद। 03. उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम 1915 से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण (50 बल्क लीटर से अधिक मामलों को छोड़कर)। 04. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण। 05. मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 06. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अल्प मात्रा वाले मामले। 07. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र के समस्त एफ.आर. (खात्मा) प्रकरण। 08. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित समस्त प्रकरण। 09. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 से 147 एवं "मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986" से संबंधित प्रकरण एवं कार्यवाहियां। 10. संबंधित क्षेत्राधिकार आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1981 के तहत परिवाद व कार्यवाहिया। 11. संबंधित आरक्षी केन्द्र क्षेत्र के धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन मृत्यु समीक्षा जांच। 12. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण। 13. आरक्षी केन्द्र शहपुरा एवं मेहंदवानी से संबंधित स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) के अन्तर्गत धारा 52(क) से संबंधित कार्यवाही सम्पादित करना। 14. जिन न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पद वर्तमान में रिक्त हैं, उनके न्यायालयों के प्रकरणों से उद्भूत विविध कार्यवाहियां।
		आबकारी वृत्त शहपुरा	मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण (50 बल्क लीटर से अधिक मामलों को छोड़कर)।
		नगर पंचायत/ पालिका परिषद शहपुरा	नगर पालिका परिषद शहपुरा से उद्भूत होने वाले समस्त नगर पालिका अधिनियम के इस्तगासा प्रकरण।

॥ अवकाश की दशा में न्यायिक मजिस्ट्रेटों पर कार्यभार ॥

न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर रहने की दशा में अथवा उनकी अनुपस्थिति की दशा में आवश्यक न्यायिक कार्य का संपादन तालिका में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के नामों के क्रमानुसार किया जावेगा। अंतिम प्रभार के न्यायिक मजिस्ट्रेट के भी अवकाश पर होने या अनुपस्थित होने पर जिला स्थापना डिण्डौरी पर पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अत्यावश्यक न्यायिक कार्य का संपादन किया जाएगा।

क्र.	नाम मजिस्ट्रेट	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	श्री गिरजेश कुमार सनोडिया	श्री राम प्रसाद सिंह	श्रीमती कमला उईके	श्री उत्कर्ष राज सोनी
2	श्री राम प्रसाद सिंह	श्री उत्कर्ष राज सोनी	श्रीमती कमला उईके	सुश्री रिया डेहरिया
3	श्रीमती कमला उईके	सुश्री रिया डेहरिया	श्री उत्कर्ष राज सोनी	श्री राम प्रसाद सिंह
4	श्री उत्कर्ष राज सोनी	श्रीमती कमला उईके	सुश्री रिया डेहरिया	श्री राम प्रसाद सिंह
5	सुश्री रिया डेहरिया	श्रीमती कमला उईके	श्री उत्कर्ष राज सोनी	श्री राम प्रसाद सिंह
तहसील शहपुरा				
1	श्री दिलीप पाटिल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा	श्री राम प्रसाद सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला डिण्डौरी	श्री उत्कर्ष राज सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला डिण्डौरी	श्रीमती कमला उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला डिण्डौरी

जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के अंतर्गत कथन लेने के लिए निम्नलिखित थाना क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकार रखेंगे :-

क्र.	थाना क्षेत्र	मजिस्ट्रेट / प्रभार
जिला स्थापना डिण्डौरी		
1	आरक्षी केन्द्र करंजिया, शहपुरा, मेहंदवानी	श्री राम प्रसाद सिंह
2	आरक्षी केन्द्र समनापुर, गाडासरई नोट:-1. श्रीमती कमला उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी [महिला आरक्षी केन्द्र डिण्डौरी, आरक्षी केन्द्र अजाक को छोड़कर], डिण्डौरी जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराध अंतर्गत पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रकरणों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के अंतर्गत अभियोक्त्री के कथन एवं संस्वीकृतियां अभिलेखन हेतु अधिकृत किया जाता है।	श्रीमती कमला उईके

	2. आरक्षी केन्द्र बजाग से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराध बालात्कार से संबंधित प्रकरण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियां अभिलेखन हेतु अधिकृत किया जाता है।	
3	आरक्षी केन्द्र बजाग, कोतवाली डिण्डौरी, शाहपुर	उत्कर्ष राज सोनी
4	आरक्षी केन्द्र अजाक, महिला थाना, नोट:-1. सुश्री रिया डेहरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी [आरक्षी केन्द्र बजाग को छोड़कर कर] डिण्डौरी जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराध बालात्कार (पाँक्सो एक्ट 2012 के प्रकरणों को छोड़कर) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियां अभिलेखन हेतु अधिकृत किया जाता है 2. महिला आरक्षी केन्द्र डिण्डौरी एवं अजाक से उत्पन्न पाक्सो एक्ट 2012 से संबंधित प्रकरण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के अंतर्गत अभियोक्त्री के कथन एवं संस्वीकृतियां अभिलेखन हेतु अधिकृत किया जाता है।	सुश्री रिया डेहरिया

नोट :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के अंतर्गत होने वाले कथन एवं संस्वीकृती लेखबद्ध करने वाले अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थिति होने की दशा में स्थापना पर उपस्थित ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा कथन लेखबद्ध किये जायेंगे जिन्हें वह आरक्षी केन्द्र आवंटित न हो अथवा उक्त प्रकरण का श्रवणाधिकार ऐसे मजिस्ट्रेट को प्राप्त न हो। तदोपरांत "अवकाश की दशा में न्यायिक मजिस्ट्रेटों पर कार्यभार" प्रभावशील रहेगा।

/// विशेष निर्देश ///

01. इस कार्य विभाजन आदेश से किसी अधिनियम, नियम, अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
02. माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में सार्वजनिक अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट, प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत है।
03. वर्चुअल कोर्ट का प्रकरण निराकृत नहीं होने पर तथा भौतिक स्वरूप में प्रस्तुत होने की दशा में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत किया जायेगा।
04. ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के ग्राम न्यायालय में जाने की दशा में या अनुपलब्धता की दशा में उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य संबंधित प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।
05. आदेश प्रभावशील होने के उपरांत समस्त अभियोग पत्र संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उक्त प्रकरणों से संबंधित लंबित रिमाण्ड पत्रावली अन्य न्यायालयों से संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित मानी जावेगी।
06. डिण्डौरी जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में जिला पदस्थापना पर उपस्थित वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादन किया जावेगा।

07. इस आदेश के संबंध में किसी भी भ्रम या अस्पष्टता की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा।

// सामान्य निर्देश //

01. उपरोक्त कार्य विभाजन पत्रक में किसी उपबंध के होते हुए भी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी को संपूर्ण जिले के किसी भी थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले अथवा किसी भी विभाग के क्षेत्राधिकार के मूल दाण्डिक प्रकरण अथवा विविध दाण्डिक प्रकरण अथवा कार्यवाहियों में संज्ञान विचारण व जांच का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी जिले के किसी भी थाना क्षेत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के चलित न्यायालय का आयोजन कर सकेंगे तथा समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने थाना क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी को पूर्व लिखित सूचना देकर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अन्य थाना क्षेत्रों में भी समय-समय पर चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
03. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 187 की उपधारा 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करने के आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी को तत्काल प्रेषित करेंगे।
04. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कमिटल प्रकरणों में यह सुनिश्चित करें कि, प्रकरण में एफ.एस.एल. रिपोर्ट यदि हो एवं मुद्देमाल जमा हो चुका है तो माननीय सत्र न्यायालय को प्रकरण कमिट करें और प्रकरण उपापण करने के पूर्व यह निश्चित करेंगे कि प्रकरण के सभी आरोपीगण को सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियां प्रदाय की जा चुकी हैं तथा निरोध की अवधि की धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रमाणपत्र संलग्न किया जा चुका है।
05. किसी भी न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य जो किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की दशा में उस न्यायालय के प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा, उसमें अभियोग पत्र प्राप्ति सुपुर्दगी आवेदनों का निराकरण, जमानत आवेदनों का निराकरण, समाविष्ट होगा।
06. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर प्रभार की दशा में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट जो समरी पावर से सशक्त हो समरी मामलों को, जो स्वीकारोक्ति पर हों, निराकृत कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरणों को अपने न्यायालय में दर्ज करावेंगे।
07. प्रत्येक अवकाश के दिनों में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में अपने संपूर्ण स्टाफ के साथ उपस्थित रहकर रिमाण्ड ड्यूटी कार्य संपादित करेंगे। रिमाण्ड ड्यूटी आदेश पृथक से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी द्वारा जारी किया जायेगा।
08. जेल में निरुद्ध बंदियों की प्रतिदिन नियमित उपस्थिति संबंधी वीडियो कांफ्रेंसिंग [वी.सी.] प्रत्येक न्यायालय द्वारा स्वयं के न्यायालय कक्ष से वी.सी. के माध्यम से संपादित की जावेगी।
09. यदि रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट किसी कारणवश आकस्मिक अवकाश अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि, वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड

ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति प्राप्त कर ली गयी हो। इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी को अनिवार्यतः दी जायेगी।

10. डिण्डौरी जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत ई.आर. प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और अपने अपने थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले समस्त खात्मा प्रतिवेदन की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वयं करेंगे।

11. यदि स्थायी गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण वर्तमान में किसी न्यायालय में अन्य आरोपियों के संबंध में लंबित है, तो वारंट और आरोपी को उसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिस न्यायालय में वह प्रकरण लंबित है। प्रकरण लंबित नहीं होने की स्थिति में, स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला न्यायालय या उसका पद उत्तरवर्ती न्यायालय अस्तित्व में है, तो गिरफ्तारी वारंट तामीली के पश्चात् उसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे तथा रिक्त न्यायालय या अन्य स्थितियों होने से ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा जिनको संबंधित थाने (जिस थाना क्षेत्र का मामला है) का क्षेत्राधिकार आबंटित है।

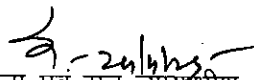
12. माननीय उच्चतम न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय एवं अन्य वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त आदेश/निर्णय से संबंधित कार्यवाही तथा निराकृत किसी अन्य प्रकरण से संबंधित विविध आवेदन, अर्थदंड/प्रतिकर/अन्य राशि जमा करने, अर्थदंड/प्रतिकर/अन्य राशि की वापसी आदि के आवेदन प्रस्तुत होने की स्थिति में, यदि प्रकरण से संबंधित न्यायालय या उसका पद उत्तरवर्ती न्यायालय अस्तित्व में है, तो ऐसी कार्यवाही/आवेदन उस न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे। रिक्त न्यायालय या अन्य स्थितियों में ऐसी कार्यवाही/आवेदन जिस पुलिस थाना क्षेत्र से संबंधित हैं, उसी पुलिस थाने से संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

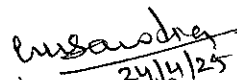
13. इस आदेश के अतिरिक्त, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले दायिद्वक प्रकरण, विविध दायिद्वक प्रकरण, जांच एवं कार्यवाहियां, उस आदेश के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेंगी।

14. इस कार्य विभाजन आदेश के पूर्व के समस्त आदेश इस पत्रक के लागू होने की तिथि से एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

15. यह कार्य विभाजन आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी के अनुमोदन के अधीन रहते हुये अनुमोदन पश्चात तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुमोदित


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी मध्यप्रदेश


24/4/25
गिरजेश कुमार सनोडिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डिण्डौरी मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्र. 74 / सी.जे.एम. / स्टेनो / 2025

डिण्डौरी, दिनांक 25/4/25

प्रतिलिपि :-

- 1- श्री राम प्रसाद सिंह, श्रीमती कमला उईके, श्री दिलीप पाटिल, श्री उत्कर्ष राज सोनी, सुश्री रिया डेहरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी / शहपुरा की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- सांख्यिकीय अनुभाग जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, वे संबंधित समस्त आरक्षी केंद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।
- 4- जिला अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ डिण्डौरी / शहपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- सिस्टम ऑफिसर, डिण्डौरी को संबंधित एवं समस्त न्यायाधीशगण तथा तहसील न्यायालय के सिस्टम ऑफिसर को ई-मेल किये जाने हेतु प्रेषित।

gubensingh
25/4/25

गिरजेश कुमार सनोडिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डिण्डौरी मध्यप्रदेश